

राजस्थान सरकार  
स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान  
(जी-3 राजमहल रेजीडेन्सी, सी-स्क्रीम, सिविल लाईन फाटक के पास, जयपुर)

क्रमांक: एफ.15(ग)/पीडी/डीएलबी/इ.र.यो./20/पार्ट-II/3246

दिनांक : 15/11/2022

आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक एफ.15(ग)/पीडी/डीएलबी/इ.र.यो./20/पार्ट-II/2076 दिनांक 29.09.2022 को अतिरिक्त करते हुए इन्दिरा रसोईयों में निर्धारित भोजन वितरण की क्षमता से 100 प्रतिशत अतिरिक्त भोजन क्षमता बढ़ाने की अस्थायी अनुमति दिनांक 31 मार्च 2023 तक प्रदान की जाती है।

उक्त व्यवस्था 06 माह के लिये होगी एवं 01 अप्रैल 2023 से पूर्व इसका पुनर्मूल्यांकन किया जाएगा।

(हर्देश कुमार शर्मा)

निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक: एफ.15(ग)/पीडी/डीएलबी/इ.र.यो./20/पार्ट-II/3247-3255

दिनांक : 15/11/2022

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

01. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
02. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
03. निजी सचिव, आयुक्त एवं विशिष्ट सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी एवं संचार विभाग, जयपुर।
04. निजी सचिव, सम्भागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान।
05. जिला कलक्टर एवं पदेन अध्यक्ष, जिलास्तरीय समन्वय एवं मॉनिटरिंग समिति समस्त राज.।
06. वित्तीय सलाहकार, स्थानीय निकाय विभाग, जयपुर।
07. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
08. आयुक्त/अधिकाधी अधिकारी, नगर निकाय, समस्त राजस्थान।
09. रसोई संचालक, इन्दिरा रसोई योजना, समस्त राजस्थान।

(नवीन भारद्वाज)

स्टेट नोडल अधिकारी